राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2014/12521-29 जयपुर,दिनांक 12.12.14

जिला कलेक्टर, (सहायता)
अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़,
चूरू, डुंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़,
जालौर, जोधपुर एव प्रतापगढ़ (राज0)

विषयः— अभाव संवत् 2071 में अभावगग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 1(1)(4) आ.प्र. सआ/सामान्य/2014/12413–32 दिनांक 12.12.14 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। अभाव संवत् 2071 में अभावग्रस्त क्षेत्र की पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित करें। भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2013 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डो में गौशाला अनुदान के लिए अधिकृत किया जाता है। इसके लिये जिला कलेक्टर गौशालाओं के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करे। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर द्वारा तदानुसार स्वीकृति जारी की जावे।

अनुदान स्वीकृत करने के विस्तृत दिशा–निर्देश सहायता निर्देशिका के अध्याय –6 बिन्दु सं.6.1 से 6.3.4 में अंकित है। इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः—

1. **अनुदान दर–** गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं में बड़े पशु हेतु 50/– रूपये तथा छोटे पशु हेतु 25/– रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।
2. **पशु आहार–**
   (i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.11के तहत वर्ष 2012 से निर्धारित नई दरो के संशोधन अनुसार पशु आहार की राशि क्रमशः 11/– रूपये बड़े पशु तथा 5.50 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।

12/12/14

(ii) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित अथवा राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा कय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

3. **निरीक्षण मापदण्ड–**

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण के लिए न्यूतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित है:–

क्र. स.	नम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के आधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/पं. समिति

4. **अनुदान की देयता:–**

यहा भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो ।

(ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावें।:–

क. खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
ख. पशुओं का रजिस्टर
ग. दैनिक खर्च रजिस्टर
घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशलाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

12/12/14

5. **भुगतानः–**
गौशला द्वारा सरंक्षित किये जा हे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कियें जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

6. गत सम्वत में कुछ अभावग्रस्त जिलों द्वारा या तो विभाग को प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में नही भिजवाये गये है या जिलों द्वारा स्वयं के स्तर पर ही गौशालाओं को स्वीकृत कर दिया गया । इस सम्बन्ध में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करे तथा विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर तदानुसार स्वीकृति जारी करे।

7. जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विभाग स्तर से आगामी सात दिवसों में कोई सूचना प्राप्त नही होती है तो जिला कलेक्टर इस सम्बन्ध में शासन सचिव अथवा संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से जानकारी प्राप्त कर गौशालाओं की स्वीकृति जारी करवाने की कार्यवाही करे।

8. गौशाला अनुदान स्वीकृत हो जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक 10 दिवसों में उक्त गतिविधि में हुई प्रगति से अवश्य अवगत करावे। उक्त अनुदान पहली बार 60 दिवस के लिए तथा भीषण सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन से बढाया जा सकता है।

भवदीय

शासन सचिव
12/12/14

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज0,जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज0.,जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज.0, जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर , बीकानेर,, जोधपुर, एवं उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

शासन सचिव
12/12/14